

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1033
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम के चाय बागानों में मातृ मृत्यु अनुपात

†1033. श्री प्रद्युमन बोरदोलोईः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) असम के चाय बागानों में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और देश में चाय बागान श्रमिकों के बीच संस्थागत प्रसव की हिस्सेदारी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेष रूप से असम में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले असम के चाय बागान श्रमिकों की संख्या कितनी है और उन्हें वर्षवार वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत असम में शामिल महिला चाय बागान श्रमिकों की संख्या कितनी है और योजना के अंतर्गत 180 लाल आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) गोलियां प्राप्त करने वाली गर्भवती चाय बागान श्रमिकों की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने असम में चाय बागान श्रमिकों को मातृ स्वास्थ्य से संबंधित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का कोई आकलन किया है और यदि हां तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुष्ठिया पटेल)

(क): भारत के महाराजिस्ट्रार द्वारा जारी मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) पर विशेष बुलेटिन, 2020-22 के अनुसार, जो राज्य स्तर पर एमएमआर प्रदान करता है, असम का एमएमआर 125 प्रति लाख जीवित जन्म है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, असम राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संस्थागत प्रसव का हिस्सा अनुलग्नक । में दिया गया है।

(ख): असम में पिछले पाँच वर्षों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के लिए एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण अनुलग्नक ॥ में दिया गया है। असम राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेएसवाई का लाभ प्राप्त करने वाले चाय बागान श्रमिकों का वर्ष-वार आँकड़ा और उन्हें वितरित धनराशि का विवरण अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग): एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, असम के सभी चाय बागान क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं सहित सभी लक्षित आयु समूहों को कवर किया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के अनुसार, असम में 95% गर्भवती महिलाओं को वित्त वर्ष 2024-25 में 180 लाल आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) की गोलियाँ प्रदान की गई हैं। असम राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला चाय बागान श्रमिकों और गर्भवती चाय बागान श्रमिकों के लिए अलग-अलग कवरेज डेटा नहीं रखा जाता है।

(घ): सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन समय-समय पर क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय दौरों और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) के माध्यम से करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने असम के चाय बागानों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरों की एक प्रणाली स्थापित की गई है।
- पोर्टल और (शारसीएच) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (एचएमआईएस) स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख मातृ सीएमएसएमए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्वास्थ्य संकेतकों की रिपोर्टिंग, समीक्षा और निगरानी के लिए प्रमुख साधन हैं।
- राज्य सरकारों के साथ पत्रों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित कई माध्यमों से संचार।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1033 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है

अनुलग्नक ।

एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार भारत और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव का हिस्सा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत प्रसव %
	भारत	88.6
1	अंडमान व नोकोवार द्वीप समूह	98.9
2	आंध्र प्रदेश	96.5
3	अरुणाचल प्रदेश	79.2
4	असम	84.1
5	बिहार	76.2
6	चंडीगढ़	96.9
7	छत्तीसगढ़	85.7
8	दिल्ली	91.8
9	गोवा	99.7
10	गुजरात	94.3
11	हरियाणा	94.9
12	हिमाचल प्रदेश	88.2
13	जम्मू और कश्मीर	92.4
14	झारखण्ड	75.8
15	कर्नाटक	97.0
16	केरल	99.8
17	लद्दाख	95.1
18	लक्ष्मीप	99.6
19	मध्य प्रदेश	90.7
20	महाराष्ट्र	94.7
21	मणिपुर	79.9
22	मेघालय	58.1
23	मिजोरम	85.8
24	नागालैंड	45.7
25	ओडिशा	92.2
26	पुदुचेरी	99.6
27	पंजाब	94.3
28	राजस्थान	94.9
29	सिक्किम	94.7
30	तमिलनाडु	99.6
31	तेलंगाना	97.0
32	दादरा नगर हवेली और दमन व दीव	96.5
33	त्रिपुरा	89.2
34	उत्तराखण्ड	83.2
35	उत्तर प्रदेश	83.4
36	पश्चिम बंगाल	91.7

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1033 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है

अनुलग्नक II

असम के लिए जेएसवाई के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी)
अनुमोदन

वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रुपये में)
2020-21	6,933.61
2021-22	4,634.84
2022-23	7,917.38
2023-24	8,248.54
2024-25	8,554.27
